राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssashaladarshan@gmail.com फोन–0141–2705937, 2711964

क्रमांक : राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/ 2016–17 / 9319 दिनांक : 22/9/16

अत्यावश्यक

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.)
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समस्त जिले।

विषय : शाला दर्शन पोर्टल पर विद्यार्थियों की विस्तृत प्रविष्टियों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्शन पोर्टल पर विद्यालय, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित **सूचनाओं के अपडेशन एवं परिवर्धन के लिये पोर्टल दिनांक 15.09.2016 से 30.09.2016** तक के लिये खोला जा रहा है। इस संदर्भ में दिनांक 14.09.2016 को पंत्राक 8085 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके है। इस संदर्भ में विद्यार्थियों के विवरण की प्रविष्टियां ब्लॉक कार्यालय द्वारा किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं –

1. इस सत्र से विद्यार्थियों की विस्तृत विवरणात्मक सूचना ली जानी है। जिसके लिए प्रपत्र 3A तैयार किया गया है। जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
2. विद्यार्थियों के विवरण से सम्बन्धित प्रपत्र विद्यालयों के संस्थाप्रधान द्वारा भरवाये जाने के पश्चात ब्लॉक स्तर पर समेकित एवं संधारित किये जावेंगे तथा ब्लॉक लॉगिन से ऑपरेटर द्वारा शालादर्शन पोर्टल पर अपलोड किये जावेंगे।
3. प्रपत्रों की फीडिंग के लिये 1 कम्प्यूटर ऑपरेटर मनविद मशीन को एक महीने के लिये किराये पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस ऑपरेटर को किराये पर लिये जाने की शर्ते वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक : एफ.9 (1)वित्त1(1)बजट/2012 दिनांक 01.07.2015 के संदर्भ में होगी। अतः उक्त कार्य के लिये अधिकतम 1 महीने की अवधि के लिये 8500 रूपये की राशि व्यय करने की स्वीकृति एसएसए के प्रबंधन मद से दी जाती है। वित्त विभाग का परिपत्र लेखा नियम जनवरी 2016 के पृष्ठ संख्या 112 पर उपलब्ध है।
4. प्रपत्र अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में भरा जावें।
5. प्रपत्र 3ए के अन्तर्गत विद्यार्थी का नाम, उसके माता/पिता/अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, विद्यालय में प्रवेश तिथि, एसआर नम्बर, विद्यार्थी का आधार नम्बर, बीपीएल कार्ड एवं विद्यार्थी के घर से विद्यालय की अधिकतम दूरी आदि का विवरण भरा जाना है।
6. आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की सूचनायें ऐच्छिक हैं तथा शेष समस्त सूचनायें भरी जानी अनिवार्य हैं। आधार कार्ड की सूचना आगामी महीनों में चलकर अनिवार्य की जावेगी अतः अधिकतम विद्यार्थियों के आधार नम्बर भरवाने के प्रयास करें।
7. यह ध्यान रहे कि विद्यालय द्वारा दी गई सूचनायें विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित हों तथा जिसका सत्यापन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावें। यह ध्यान रखा जावे कि विद्यार्थियों के विवरण की सूचनायें शतप्रतिशत तथ्य आधारित हो, गलत सूचनायें दिये जाने के लिये संस्थाप्रधान एवं बीईईओ व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

8. नामांकन एवं विद्यार्थी विवरण भरे जाने की आधार तिथि प्राथमिक तौर पर 31 अगस्त 2016 है जिसे बाद में 30 सितम्बर की आधार तिथि के आधार पर अन्तिम रूप से अद्यतन किया जावे।
9. प्रपत्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि की अन्तिम तिथि 20 अक्टूबर 2016 है।
10. विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिये परिषद स्तर पर शीघ्र ही जिले के एमआईएस एवं अन्य अधिकारियों के लिये आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी सूचना शीघ्र ही प्रेषित की जा रही है। साथ ही नोडल व खण्ड स्तर के अधिकारियों/कार्मिकों के आमुखीकरण हेतु अटल सेवा केन्द्रों पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग का आयोजन भी किया जा रहा है। जिसका विस्तृत विवरण यथाशीघ्र प्रसारित किया जावेगा।
11. विद्यार्थी विवरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली एवं राजस्थान सरकार की प्राथमिकता का कार्य है। अतः इस कार्य को प्राथमिकता एवं गंभीरता से सम्पादित करावें।

(पूनम)
आयुक्त

क्रमांकः–राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/शा.दर्शन/2015–16/ 9320 दिनांक : 22/9/16
प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक प्रा.शि. निदेशालय, बीकानेर।
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, जयपुर।
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
6. बीईईओ समस्त ब्लॉक।
7. रक्षित पत्रावली।

अति.आयुक्त